

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(1)ग्रावि/नरेगा/भा.स./2010

जयपुर, दिनांक :

3-0 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 100 दिवस से अधिक
रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। धारा 3(4) के अनुसार यदि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराना चाहे तो इसके लिए स्कीम में प्रावधान किया जाना वांछनीय है।

केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने एवं तदनुसार ही राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उदयपुर जिले के कथौड़ी तथा बारां जिले के सहरिया एवं खैरुआ जनजाति के परिवारों को अतिरिक्त 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। शेष परिवारों को अधिनियम एवं स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम 100 दिवस का रोजगार ही उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

वैबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के सभी जिलों में कुछ परिवारों को 100 दिवस से अधिक का रोजगार दिया गया है (प्रति संलग्न), जबकि 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाना है।

इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य में कथौड़ी, सहरिया एवं खैरुआ जनजाति के परिवारों के अतिरिक्त किसी भी परिवार को 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जावे। इस संबन्ध में आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को यह निर्देश जारी किये जावे कि ग्राम पंचायत में संधारित किये जाने वाले रोजगार रजिस्टर (रजिस्टर न. 7) को अपडेट रखा जावे एवं 70 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराये जाने के पश्चात इसकी सही तरह से मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा की जावे ताकि कथौड़ी, सहरिया एवं खैरुआ जनजाति के परिवारों के अतिरिक्त अन्य परिवारों को 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जावे। कार्यक्रम अधिकारी भी मस्टररोल जारी करने से पूर्व उक्त प्रावधान को सुनिश्चित कर लें। मेट को भी यथा संभव 100 दिवस से अधिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जावे एवं इस हेतु मेट पैनल में पर्याप्त संख्या में मेट सम्मिलित हों एवं उन्हें रोटेट करते रहें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

M. K. 29/9/11
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन निर्देशों की प्रति जिले के समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं ग्राम सचिव को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

Govt. of India

Ministry of Rural Development

Department of Rural Development

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

Employment Provided More Than 100 Days Thursday, September 22, 2011

State : RAJASTHAN

Thursday, September 22, 2011

| District | Total attendance above 100 days | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | House Hold Employed | Persondays Exceeding 100 Days |
| <u>AJMER</u> | 151 | 476 |
| <u>ALWAR</u> | 180 | 685 |
| <u>BANSWARA</u> | 2172 | 11390 |
| <u>BARAN</u> | 403 | 2047 |
| <u>BARMER</u> | 1088 | 4609 |
| <u>BHARATPUR</u> | 341 | 1585 |
| <u>BHILWARA</u> | 394 | 2034 |
| <u>BIKANER</u> | 1044 | 4355 |
| <u>BUNDI</u> | 79 | 354 |
| <u>CHITTORGARH</u> | 557 | 2541 |
| <u>CHURU</u> | 269 | 1122 |
| <u>DAUSA</u> | 193 | 1145 |
| <u>DHOLPUR</u> | 66 | 617 |
| <u>DUNGARPUR</u> | 4580 | 17799 |
| <u>HANUMANGARH</u> | 86 | 266 |
| <u>JAIPUR</u> | 140 | 671 |
| <u>JAISALMER</u> | 283 | 1114 |
| <u>JALORE</u> | 659 | 2545 |
| <u>JHALAWAR</u> | 680 | 4145 |
| <u>JHUNJHUNU</u> | 60 | 248 |
| <u>JODHPUR</u> | 1379 | 5114 |
| <u>KARALI</u> | 87 | 371 |
| <u>KOTA</u> | 161 | 666 |
| <u>NAGOUR</u> | 350 | 1672 |
| <u>PALI</u> | 363 | 2046 |
| <u>PRATAPGARH</u> | 511 | 2493 |
| <u>RAJSAMAND</u> | 397 | 2648 |
| <u>SAWAI MADHOPUR</u> | 107 | 533 |
| <u>SIKAR</u> | 84 | 355 |
| <u>SIROHI</u> | 344 | 1472 |
| <u>SRI GANGANAGAR</u> | 15 | 66 |
| <u>TONK</u> | 33 | 146 |
| <u>UDAIPUR</u> | 2750 | 12702 |
| Total | 20006 | 90032 |

7